न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या–7/2002
आरसीएमएस नं. 2002/00016

1– मु0 राजकंवर पत्नी स्व0 श्री तेज सिंह (फौत)
2– नरेन्द्र सिंह | पुत्रगण स्व0 श्री तेज सिंह | जाति राजपूत निवासीगण कलासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3– स्वाई सिंह
4– रतन सिंह
5– मु0 सायरकंवर | पुत्रिया स्व0 श्री तेज सिंह
6– मु0 मीकू कंवर
7– शिवपाल सिंह | पुत्रगण श्री सरदार सिंह | जाति राजपूत निवासीगण राणोली तहसील दातारामगढ जिला सीकर।
8– अजीत सिंह
9– हनुमान सिंह
10– मु0 विनोद कंवर | पुत्रिया श्री सरदार सिंह
11– मु0 किरण कंवर
12– मु0 भंवर कंवर

––प्रार्थीगण

बनाम

हुणताराम पुत्र श्री खुमानाराम (फौत)

1/1–सहीराम पुत्र स्व0 श्री हुणताराम पुत्र श्री खुमानाराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
1/2–पेमाराम पुत्र स्व0 श्री हुणताराम (मृतक)
1/2/1–रामप्यारी पत्नी स्व0 श्री पेमाराम पुत्र स्व0 श्री हुणताराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
1/2/2–हेतराम पुत्र स्व0 श्री पेमाराम पुत्र स्व0 श्री हुणताराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
1/2/3–हंसराज पुत्र स्व0 श्री पेमाराम पुत्र स्व0 श्री हुणताराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
1/2/4–विद्यादेवी पुत्री स्व0 श्री पेमाराम पत्नी श्री बंशीलाल जाति जाट (बराला) निवासी अर्जनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
1/2/5सोना पुत्री स्व0 श्री पेमाराम पत्नी श्री मामराज जाति जाट (भादू) निवासी अमरपुरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
1/2/6–संतोष पुत्री स्व0 श्री पेमाराम पत्नी श्री बेगराज जाति जाट (भादू) निवासी अमरपुरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1/2/7–धापीदेवी पुत्री स्व0 श्री पेमाराम पत्नी श्री मानाराम जाति जाट (बराला) निवासी अर्जनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

1/3–आदूराम
1/4–मुखराम
1/5–परमेश्वरी
1/6–चावली
पिसरान स्व0 श्री हुणताराम पुत्र श्री खुमानाराम जाति जाट निवासीगण कुलचासर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

1/7–चन्दाराम
1/8–साहबराम
1/9–बिरमा
1/10 मीरां
पुत्रिया व पुत्र स्व0 श्री हुणताराम पुत्र श्री खुमानाराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2– रूपा पत्नी स्व0 श्री मालूराम

3– खिराज (फौत)

3/1–रूघाराम
3/2–मोहर सिंह
3/3–मूलाराम
पिसरान स्व0 श्री खिराज जाति जाट निवासीगण कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

4– रामूराम (फौत)

4/1–विमलादेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री रामूराम जाति जाट निवसीगण कुलचासर तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

4/2–भजनलाल
4/3–गायत्री
4/4–सावित्री
4/5–पूजा
पिसरान स्व0 श्री रामूराम

5– तारूराम
6– भूराराम
पिसरान श्री मलूराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

7– चेतनराम पुत्र श्री खुमानाराम (फौत)

7/1–मुखराम
7/2–सांवताराम
7/3–बीरबलराम
7/4–हनुमानराम
7/5–गोपीराम
7/6–पारादेवी
7/7–गोमतीदेवी
7/8–गुड्डीदेवी
7/9–चानादेवी
पुत्रगण व पुत्रिया स्व0 श्री चेतनराम जाति जाट निवासीगण कुलचासर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

8– मु0 प्रेमा (पुत्री खुमानाराम) धर्मपत्नी श्री मामराज जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9– मु0 गीता (पुत्री खुमानाराम) धर्मपत्नी श्री हेतराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

10– मु0 रूकमणी (पुत्री खुमानाराम) धर्मपत्नी श्री रतनाराम जाति जाट निवासी सीरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

11– देवीलाल पुत्र श्री नानूराम जाति जाट जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

12– जड़ाव पत्नी स्व0 श्री खुमानाराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :– 1. श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता ––प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट की ओर से
2. श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अधिवक्ता ––अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता

:: निर्णय :: दिनांक : 25-07-22

1. प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने यह प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2002 को अपील संख्या 5/2002 शीर्षक "हुणताराम बनाम तेज सिंह आदि" में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि उक्त अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने द्वितीय अपील संख्या 153/95 में दिनांक 17.01.2002 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण की अपील स्वीकार प्रथम अपील में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.95 को निरस्त किया है व प्रथम अपील को गुण–अवगुणों पर निर्णय करने का आदेश दिया है। प्रार्थीगण ने यह कथन किया है कि प्रथम अपील अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.11.79 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण का दावा बेदखली के अनुतोष हेतु था तथा उन्होनें खसरा नंबर 392 तादादी 26.09 बीघा के संबंध में इस्तकरार हक व बेदखली का अनुतोष चाहा था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.11.79 में अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण का दावा खारिज किया था तथा यह निर्णय पारित किया कि वादी अर्थात् अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 1 (तेज सिंह) को बेदखल करवाकर कब्जा पाने के मुश्तहक नहीं है। इस प्रकार यह स्वीकृत स्थिति थी कि प्रथम अपील प्रस्तुत करने के समय अपीलाण्ट (अप्रार्थीगण) का वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 392 तादादी 26.09 बीघा पर कब्जा नहीं था। प्रथम अपील का सर्वप्रथम दिनांक 27.08.82 को निर्णय हुआ व अपीलाण्ट की अपील स्वीकार होकर उक्त भूमि का उन्हें खातेदार कृषक घोषित किया गया व विवादग्रस्त भूमि के संबंध में उन्हें बेदखली की डिग्री प्रदत्त की गई। इस प्रथम अपीलीय डिग्री के विरूद्ध प्रार्थीगण (रेस्पोडेंट) ने द्वितीय अपील प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कर स्थगन आदेश हासिल कर लिया। इस कारण अपीलाण्ट को प्रथम अपीलीय डिग्री के अनुसरण में निष्पादन की कार्यवाही कोई कब्जा नहीं मिल पाया। रेस्पोडेंट की द्वितीय अपील दिनांक 22.12.88 को स्वीकार हुई तथा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.08.82 निरस्त किया जाकर मामला रिमाण्ड हुआ। यह अपील रिमाण्ड होने के उपरान्त इस न्यायालय ने दिनांक 21.06.95 को यह अपील पुनः स्वीकार कर ली व प्रतिवादी संख्या 1 (तेज सिंह) को बेदखल किये जाने के आदेश दिये। इस डिक्री की पालना में अपीलाण्ट ने वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रार्थीगण (रेस्पोडेंट) से प्राप्त कर लिया।

2. अपीलाण्ट ने यह कथन किया है कि इस न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.95 द्वितीय अपील संख्या 153/95 निर्णय दिनांक 17.01.2002 के अन्तर्गत अपास्त की जा चुकी है व मामला गुणा–अवगुणों पर पुनः निर्णय देने हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है। अतः ऐसी परिस्थितियों में अपीलाण्ट को वादग्रस्त भूमि का कब्जा जिस डिग्री दिनांक 21.6.95 की पालना में प्रार्थीगण से लेकर लिया गया था, उक्त डिग्री के अपास्त होने पर जरिये पुर्नस्थापना प्रार्थीगण कब्जा पुनः प्राप्त करने के कानून के अनुसार अधिकारी हो गये है तथा न्यायहित में दिनांक 21.06.95 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाना आवश्यक है तथा प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिलाये जाने व दिनांक 21.06.1995 से पूर्व की स्थिति पुनर्स्थापित किये जाने का निवेदन किया।

3. यह प्रार्थना पत्र पृथक से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने जबाव प्रस्तुत किया तथा जबाव में यह कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.95 को पूर्णतया निरस्त नहीं किया है। मात्र आंशिक रूप से ही निरस्त करते हुए मामला को गुणावगुणों पर निर्णीत करने हेतु प्रेषित किया है। इस कारण प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट इस स्तर पर कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा मूल अपील के निर्णय से पूर्व यह प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है व ना ही पूर्व की स्थिति बहाल करवाने के संबंध में प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त है।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह तर्क रहा है कि अप्रार्थीगण अपीलाण्ट का मूल वाद प्रार्थीगण के विरूद्ध बेदखली का था जो अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया था। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.1995 को अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर रेस्पोडेंट के विरूद्ध बेदखली की डिक्री पारित की गई थी तथा इस डिक्री की पालना में अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 09 बिस्वा भूमि का कब्जा प्रार्थीगण से प्राप्त कर लिया। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित जिस डिक्री दिनांक 21.06.95 की पालना में अप्रार्थीगण ने प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्रार्थीगण से प्राप्त किया है, वह डिक्री माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने द्वितीय अपील संख्या 153/95 में दिनांक 17.01.2002 को अपास्त कर दी है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील को गुणावगुणों पर सुनकर निस्तारित करने का आदेश दिया है। प्रार्थीगण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विद्वान अधिवक्ता ने न्यायदृष्टान्त आर.आर.डी. 1990 पृष्ठ 355 में व्रहत पीठ के निर्णय को अनुसरित करते हुए यह निवेदन किया है कि जिस डिक्री की पालना में अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त किया है, वह डिक्री अपास्त की जाकर मामला रिमाण्ड हुआ है तथा न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अपास्त हो चुकी डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे जो आज्ञापक है। न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 1991 पृष्ठ 18 व आर.आर.डी. 2005 पृष्ठ 199 तथा आर.आर.डी. 2008 पृष्ठ 358 प्रस्तुत करते हुए यह तर्क भी दिया कि यदि कोई निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर मामला रिमाण्ड भी किया जाता है तब भी धारा 144 सीपीसी के प्रावधान लागू होंगे तथा अप्रार्थीगण अपास्त हो चुकी डिक्री का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह तर्क दिया कि इस न्यायालय की डिक्री दिनांक 21.06.95 पूर्णतया अपास्त नहीं हुई है बल्कि प्रकरण गुणावगुणों पर निर्णीत करने हेतु प्रेषित किया गया है। मूल अपील में लिखित बहस प्रस्तुत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में मूल अपील के निर्णय से पूर्व प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषणीय नही है।

6. दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को व प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्वीकृत स्थिति है कि अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा व बेदखली के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 05.11.79 को खारिज हुआ तथा इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई जो अंतिम रूप से दिनांक 21.06.1995 को स्वीकार हुई तथा अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार घोषित करते हुए रेस्पोडेंट तेज सिंह को बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये व इसी अनुसार डिक्री जारी हुई। अप्रार्थीगण ने डिक्री दिनांक 21.06.95 की पालना में प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त किया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने इस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 21.6.95 को अपने निर्णय दिनांक 17.01.2002 के अन्तर्गत अपास्त किया है तथा अपील को पुनः गुणावगुणों पर निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया है। अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 2008 पृष्ठ 358 के अनुसार रिमाण्ड प्रकरण में भी धारा 144 सीपीसी के प्रावधान लागू होते है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील भी गुणावगुणों पर निस्तारित की जाकर खारिज हुई है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्ववर्ती निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.1995 के आधार पर प्रश्नगत भूमि का जो कब्जा प्राप्त किया गया है, उसे रखने के अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त कर दिनांक 21.06.1995 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के अधिकारी पाये जाते है। परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत कृषि भूमि ग्राम कलासर तहसील नोहर वर्तमान तहसील रावतसर खसरा नंबर 392 की 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कब्जा अप्रार्थीगण को इस न्यायालय की डिक्री दिनांक 21.06.1995 की पालना में सुपुर्द किया गया था, का कब्जा प्रार्थीगण को सौंप देवें। तहसीलदार (राजस्व) रावतसर को इस निर्णय की पालना हेतु आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

25/7/22

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)